<u>आप.प्र./सीआईएस. क्र. 320/2022</u>

<u>**शासन विरुद्ध हरिराम मांझी**</u>

<u>**समयः** 12.40 **बजे**</u>

Witness No. **03** For **अभियोजन साक्षी** Deposition taken the **16/08/2023** day of सोम**वार** Witness' apparent age 24 States on Oath........my name is शिवकुमार **S**/o बबलू राम ccupation **ड्राइवर** address **साकिन नहरपाली, थाना भूपदेवपुर, जिला रायगढ़ (छ०ग०**)

01/ मैं न्यायालय अनुपस्थित आरोपी को नहीं पहचानता हूं ।

02/ मुझे घटना की कोई जानकारी नहीं है । पुलिसवाले आरोपी से मेरे समक्ष कोई सामान जप्त नहीं किये थे । जप्ती पत्रक प्रपी 2 है जिसके स से स भाग पर मेरे हस्ताक्षर है । पुलिसवाले मेरे समक्ष आरोपी को गिरफ्तार नहीं किये थे । गिरफ्तारी पत्रक प्रपी 3 है जिसके स से स भाग पर मेरे हस्ताक्षर है पुलिसवालों ने मेरा बयान नहीं लिया था ।

<u>**टीपः— इसी स्तर पर अभियोजन द्वारा धारा** 154 **साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत सूचक प्रश्न पूछने की अनुमति चाही गई विचार उपरांत अनुमति दी गई ।**</u>

03/ यह कहना गलत है कि मेरे समक्ष आरोपी से पांच लीटर वाले प्लास्टिक जरिकेन में 3 लीटर हाथ भट्ठी महुआ शराब जप्त किये थे । यह कहना गलत है कि सही बात नहीं बता रहा हूं ।

<u>**प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री राजेन्द्र डनसेना अधिवक्ता वास्ते आरोपी**</u>

04/ यह कहना सही है कि जिस समय मैं प्रपी 2 एवं 3 हस्ताक्षर किया उस समय पुलिसवाले थे और कोई नहीं थे । यह कहना सही है कि मेरे समक्ष कोई जप्ती एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही नहीं हुई है ।

05/ पुलिसवाले के कहने पर प्रपी 2 एवं 3 पर हस्ताक्षर किया था । पुलिसवाले ने मेरा कोई बयान नहीं लिये थे । इस घटना के संबंध में मुझे कोई जानकारी नहीं है ।

वाचित, सत्य स्वीकृत
सही/-
(दीप्ति बरवा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
खरसिया, रायगढ (छ०ग०)

मेरे निर्देशानुसार टंकित
सही/-
(दीप्ति बरवा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
खरसिया, रायगढ (छ०ग०)

गवाह के हस्ताक्षर